

पत्रांक 10092/शा030पि0/पंजीकरण "सी" श्रेणी/18-19

दिनांक 10-9-18


पंजीकरण सं० 22/2018-19

पंजीकरण प्रमाण पत्र

श्री० कमल कान्दूबरान सोल प्रो० श्री उमेश चन्द मौर्य पुत्र श्री शिवबरन मौर्य, निवासी, अमीना, गोरख, तहसील मंझनपुर, जिला कौशांबी को ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग परिमण्डल- इलाहाबाद में भवन/मार्ग एवं पुल के सिविल निर्माण के लिये "सी" श्रेणी में टेकेंदारी हेतु पंजीकृत किया जाता है।

यह प्रमाण पत्र ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग परिमण्डल- इलाहाबाद के अन्तर्गत समस्त प्रखण्डों में मान्य होगा तथा इस प्रतिबन्ध के साथ दिनांक 30.08.2021 तक वैध होगा कि किसी भी समय टेकेंदार द्वारा प्रस्तुत कोई भी प्रपत्र/तथ्य यदि गलत पाया जाता है तो पंजीकरण स्वतः समाप्त हो जायेगा, एवं नियमानुसार विधिक कार्यवाही भी की जायेगी। इस प्रमाणपत्र की वैधता दिनांक 30.08.2021 के बाद स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

नोट:- टेकेंदार को पंजीकरण/परीरीकरण करने के उपरान्त इस विभाग के नियमों के अन्तर्गत अधिकृत का पंजीकरण करना एवं तदनुसार कार्य करना अनिवार्य है।


अधीक्षण अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग
परिमण्डल इलाहाबाद
10/9/18


पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिनिधि - निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. समस्त अधिसारी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग परिमण्डल- इलाहाबाद।
2. अधिसारी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग प्रखण्ड कौशांबी को विज्ञापन बैंक शाखा प्रीतम नगर, इलाहाबाद द्वारा निर्गत टी०डी०आर० सं०-487972 दिनांक 24.08.2018 जमा धनराशि रु० 1,00,000.00 जो अधोहस्ताक्षरी के पदनाम बंधक है, मूलरूप में इस निर्देश के साथ संलग्न कर प्रेषित है कि सूचना उक्त जमानत धनराशि को अपनी बैंक कस्टडी में रख लें और जब तक इस स्तर से कोई आदेश/निर्देश निर्गत न किये जायें तब तक बंधक मुक्त न करें (संलग्नक मूल रूप में)।
3. श्री० कमल कान्दूबरान सोल प्रो० श्री उमेश चन्द मौर्य पुत्र श्री शिवबरन मौर्य, निवासी, अमीना, गोरख, तहसील मंझनपुर, जिला कौशांबी द्वारा अधिसारी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग प्रखण्ड कौशांबी।

प्रति प्राप्त 10/9/18

अधीक्षण मौर्य


अधीक्षण अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग
परिमण्डल इलाहाबाद।
10/9/18